DoIT
सूचना प्रौद्योगिकी और संचार विभाग

आज़ादी का अमृत महोत्सव

राजस्थान सरकार
सूचना प्रौद्योगिकी और संचार विभाग

क्रमांक :–एफ.2(6579) / डी.ओ.आई.टी. / संस्था / 15/01836/2023 जयपुर, दिनांक 22/03/2023

अनापत्ति प्रमाण पत्र

राजस्थान कम्प्यूटर अधीनस्थ सेवा के विभिन्न विभागों में कार्यरत / पदस्थापित सूचना सहायकों को निम्नलिखित पाठ्यक्रम में अध्ययन हेतु पत्राचार / स्वयंपाठी माध्यम से सम्मिलित होने की स्थिति में इस विभाग को कोई आपत्ति नहीं है :–

क्र. स.	मेरिट न.	नाम श्री / सुश्री / श्रीमती	पदस्थापित विभाग	कोर्स का नाम एवं सत्र	विश्वविद्यालय का नाम
1	1472 (2013)	गौरव शर्मा, सूचना सहायक	जिला कार्यालय, सूचना प्रौद्योगिकी और संचार विभाग, धौलपुर।	M.Sc. (CS) (2022-2023)	Vardhman Mahaveer Open University, Kota
2	New Batch 2018	भूपेन्द्र सिंघल, सूचना सहायक	मुख्य वन संरक्षक, वन विभाग, उदयपुर।	M.Sc. (Mathematics) (2023-2025)	Vardhman Mahaveer Open University, Kota

उक्त पाठ्यक्रम में सम्मिलित होने की अनुमति उक्त कर्मचारियों को राजस्थान सिविल सेवाऐं (आचरण) नियम, 1971 के नियम–17 की निम्नलिखित शर्तों के अध्यधीन प्रदान की जाती है :–

1. शिक्षण संस्थान में अध्ययन का समय यदि कार्यालय समय के समान ही हो तो अध्ययन स्वीकृति स्वतः ही समाप्त मानी जाएगी।
2. राजसेवक का पदस्थापन अध्ययन स्वीकृति संस्थान के मुख्यालय से परिवर्तन / स्थानान्तरित हो जाता है तो अध्ययन स्वीकृति स्वतः ही समाप्त हो जायेगी।
3. प्रत्येक वर्ष के लिए अलग अलग अनुमति लेनी आवश्यक होगी।
4. विभाग की पूर्वानुमति प्राप्त किये बगैर अध्ययन चालू रखने एवं परीक्षा में सम्मिलित होने वाले कर्मचारियों के विरुद्व नियमानुसार अनुशासनात्मक कार्यवाही की जायेगी।
5. जिन कर्मचारियों को इस वर्ष उच्च शिक्षा प्राप्त करने हेतु अथवा अध्ययन जारी रखने एवं परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति दी जायेगी उन्हे परीक्षा दिवसों के अतिरिक्त अन्य कोई अवकाश स्वीकृत नही किया जायेगा।
6. अध्ययन स्वीकृति दिये जाने से अधिकारी / कर्मचारी को किसी स्थान विशेष पर पदस्थापन निरन्तर रखने का अधिकारी नहीं मिल पायेगा और उसका स्थानान्तरण किया जा सकता है।
7. अध्ययन से राजसेवक दैनिक राजकीय कार्य सम्पादन में किसी प्रकार की बाधा उत्पन्न नहीं करेगा, अन्यथा स्वीकृति समाप्त कर दी जाएगी।
8. अध्ययन वर्ष मे अधिकारी / कर्मचारी की उपस्थिति का प्रतिशत कम होने के लिये सरकार / विभाग किसी प्रकार से जिम्मेदार नही होगा।
9. परीक्षा की तैयारी हेतु किसी प्रकार का अवकाश स्वीकृत नहीं किया जायेगा।
10. प्रशासनिक कारणोवश अध्ययन स्वीकृति बिना किसी पूर्व सूचना के समाप्त की जा सकती है।
11. इस अनापत्ति प्रमाण पत्र से अभ्यर्थी द्वारा किए जा रहे अध्ययन के पाठ्यक्रम या विश्वविद्यालय की मान्यता या गैर–मान्यता के संबंध में इस विभाग की स्वीकृति नहीं मानी जायेगी।
12. उक्त शर्तो की अवहेलना करने या पाई जाने पर कार्मिक / कार्मिका के विरूद्व कार्मिक विभाग के परिपत्र कमांक प.9(5)(9) / कार्मिक / क–3 / 2001 दिनांक 16 मई 2002 के अनुसार वृहत शास्ति हेतु अनुशासनात्मक कार्यवाही अमल मे लाई जायेगी।

Sd

(विवेक कुमार)
प्रभारी अधिकारी संस्थापन

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ प्रेषित है:–

1. सम्बन्धित विभागाध्यक्ष / कार्यालयाध्यक्ष...।
2. प्रभारी अधिकारी वेबसाइड, वेबसाइड पर अपलोड कराने हेतु।
3. सम्बन्धित कार्मिक...।
4. संबंधित निजी / रक्षित पत्रावली।

विजय
22/03/2023
अतिरिक्त प्रशासनिक अधिकारी

आई.टी.बिल्डिंग, योजना भवन परिसर, तिलक मार्ग, सी–स्कीम, जयपुर–302005, दूरभाषः– (0141) 2921322, 2222011
वेबसाइटः-http://www.doitc.rajasthan.gov.in, ई–मेलः – oic.estt@rajasthan.gov.in